भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 679**

(जिसका उत्तर 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाना है)

**ऋण वसूली को लेकर उत्‍पीड़ित किए जाने की शिकायतें**

679. श्री एन. बालगंगा :

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या ऋणों की वसूली को लेकर सार्वजनिक और निजी बैंकों द्वारा ग्राहकों को उत्‍पीड़ित किए जाने की शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों पर क्‍या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्‍या उच्‍चतम न्‍यायालय ने ऋणों की वसूली के लिए इस तरह का तरीका नहीं अपनाने का कोई निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो ग्राहकों को उत्‍पीड़ित न करते हुए ऋणों की वसूली के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्‍संबंधी ब्‍यौरे क्‍या हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)

**(क) और (ख) :** जी, हां। ऋणों की वसूली के संबध में सरकारी और गैर-सरकारी बैंकों द्वारा ग्राहकों का उत्‍पीड़न किए जाने की ऐसी शिकायतों जिनका समाधान/निपटान बैंकिंग लोकपाल स्‍कीम, 2006 के अनुसार प्रत्‍यक्ष रूप से संबंधित बैंकों के माध्‍यम से किया गया है, का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:-

|  |  |
| --- | --- |
| **वर्ष** | **संख्‍या** |
| 2010-11 | 1706 |
| 2011-12 | 451 |

**(ग) :** वर्ष 2007 में, इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय के आदेश के विरुद्ध आइसीआइसीआइ बैंक द्वारा दायर एक अपील का निपटारा करते समय उच्‍चतम न्‍यायालय ने माना कि ऋणों की वसूली अथवा वाहनों की जब्‍ती केवल कानूनी साधनों के माध्‍यम से की जाए।

**(घ) :** भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा वसूली एजेन्‍टों की नियुक्‍ति और प्रशिक्षण के संबध में बैंकों को विस्‍तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपने निदेशक मंडल द्वारा उधारदाताओं के लिए विधिवत अनुमोदित उचित व्‍यवहार संहिता तथा भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड द्वारा जारी बीसीएसबीआई मानकों का कड़ाई से अनुपालन करें।

\*\*\*\*\*